फर्द अहकाम

प्रकरण ... सहायक कलक्टर ...
प्रकरण संख्या : 67/2015
1. कमला पत्नी स्वीराम
2. विष्णु पुत्र स्वीराम
3. सुन्दरपाल पुत्र ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/08/19	उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया। वास्ते बहस दिनांक 05/09/19 को पेश हो।
5-9-19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक ...17-09-19...को पेश हो।
17/09/19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० दौरे ~~पर/अवकाशपर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 22/10/2019 को पेश हो।
22/10/19	उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय 25/10/19 को पेश हो।
25/10/19	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

वाद संख्या : 67/2015 दायरा दिनांक : 04.05.2015

1. कमला पत्नी रतीराम
2. विष्णु पुत्र रतीराम
3. सुन्दरपाल पुत्री रतीराम

जाति मेघवाल (चमार) निवासीयान पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रतीराम पुत्र रामचन्द जाति मेघवाल (चमार) निवासी ठूकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. उप पंजीयक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

— अप्रार्थीगण

उपस्थिती :—

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थीगण
2. श्री आनन्द स्वामी, अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 1
3. अप्रार्थीसं. 02 एक्स पार्टी दिनांक 28.08.2015

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::— निर्णय —:: दिनांक : 25.10.2019

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके रोही ठूकराना के संयुक्त खाता सं. 32/21 खसरा नं. 1106/308 में 12.625 है0 व खसरा नं. 1205/330 में 4.276 है0 कुल 16.901 है0 में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.408 है0 बारानी एवं संयुक्त खाता सं. 305/142 के खसरा नं. 953/278 में 3.795 है0, खसरा नं. 996/288 में 8.653 है0, खसरा नं. 1016/288 में 2.985 है0 व खसरा नं. 1222/333 में 4.048 है0 कुल 19.481 है0 बारानी में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.286 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 379/444 के खसरा नं. 834/252 में 6.325 है0 बारानी व संयुक्त खाता 30/19 के खसरा नं. 1220/333 में 5.060 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/6 हिस्सा यानि 0.8433 है0 तथा संयुक्त खाता सं. 31/20 के खसरा नं. 308/12.625 है0 व खसरा नं. 330 में 5.035 है0 कुल 17.660 है0 बारानी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1.472 है0 इस प्रकार रोही ठूकराना में अप्रार्थी सं. 1 के नाम की कुल 11.334 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा नं. 834/252 में 6.325 है0 बारानी भूमि के अतिरिक्त अन्य सारी भूमि रत्तीराम की स्वयं पैदाकर्दा सम्पत्ति नही है, पिता से प्राप्त हिन्दू सहदायी सम्पत्ति की परिभाषा में आता है। उक्त भूमि अप्रार्थी नं. 1 रतीराम को परिवार के पालन के लिये आवंटित की गई थी, जिसका सुधार पुरे परिवार द्वारा किया गया है। उक्त जैरप्रकरण भूमि में प्रार्थीगण नं. 2 व 3 का 2/7 हिस्सा एवं प्रार्थीया नं. 1 का 1/7 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी नं. 01 ने प्रार्थीगण को घर से बाहर निकाल दिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को कई बार जैरप्रकरण भूमि प्रार्थीगण के नाम करवाने हेतु कहा तो वे टालमटोल करत रहे। अप्रार्थी सं. 1 ने धमकी दी है की वे जैरप्रकरण रकबा को हस्तान्तरण कर देगें। अप्रार्थी संख्या 1 की ऐलानिया धमकी से व्यथित होकर वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, भार संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः जैरप्रकरण भूमि वाके रोही ठूकराना के संयुक्त खाता सं. 32/21 खसरा नं. 1106/308 में 12.625 है0 व खसरा नं. 1205/330 में 4.276 है0 कुल 16.901 है0 में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.408 है0 बारानी एवं संयुक्त खाता सं. 305/142 के खसरा नं. 953/278 में 3.795 है0, खसरा नं. 996/288 में 8.653 है0, खसरा नं. 1016/288 में 2.985 है0 व खसरा नं. 1222/333 में 4.048 है0 कुल 19.481 है0 बारानी में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.286 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 379/444 के खसरा नं. 834/252 में 6.325 है0 बारानी व संयुक्त खाता 30/19 के खसरा नं. 1220/333 में 5.060 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/6 हिस्सा यानि 0.8433 है0 तथा संयुक्त खाता सं. 31/20 के खसरा नं. 308/12.625 है0 व खसरा नं. 330 में 5.035 है0 कुल 17.660 है0 बारानी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1.472 है0 इस प्रकार रोही ठूकराना में अप्रार्थी सं. 1 के नाम की कुल 11.334 है0 बारानी भूमि को अप्रार्थीगण नं. 01 रहन बैय ना करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 04.05.2015 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पक्षकारान को जैरप्रकरण भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को बावजूद सूचना उपस्थित नही आने पर दिनांक 28.08.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.05.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने दिनांक 04.05.2018 को जारी निषेधाज्ञा दिनांक 04.05.2018 को वाद पत्र के निर्णय तक बढ़ाये जाने पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की। उन्होने तर्क दिया की यदि अन्तरिम निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्क सुनने के पश्चात् तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी के अवलोकन से प्रश्नगत रकबा पैतृक होना साबित है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2016 में अंकित किया है, यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसे एतराज नही है। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना साबित होता हो। यदि जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी सं. 1 रहन, बैय या अन्य किसी तरह से हस्तातंरण करता है तो प्रार्थीगण का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रश्नगत रकबा खसरों में स्थित है, जिसमें अन्य सहकाश्तकार भी है, अन्य काश्तकारों विरूद्ध मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हम आंशिक रूप से स्वीकार कर जैरप्रकरण रकबा को रहन बैय व हस्तातंरण नही करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 को पांबद किया जाता है कि वे जैरप्रकरण वाके रोही ठूकराना के संयुक्त खाता सं. 32/21 खसरा नं. 1106/308 में 12.625 है0 व खसरा नं. 1205/330 में 4.276 है0 कुल 16.901 है0 में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.408 है0 बारानी एवं संयुक्त खाता सं. 305/142 के खसरा नं. 953/278 में 3.795 है0, खसरा नं. 996/288 में 8.653 है0, खसरा नं. 1016/288 में 2.985 है0 व खसरा नं. 1222/333 में 4.048 है0 कुल 19.481 है0 बारानी में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.286 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 379/444 के खसरा नं. 834/252 में 6.325 है0 बारानी व संयुक्त खाता 30/19 के खसरा नं. 1220/333 में 5.060 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/6 हिस्सा यानि 0.8433 है0 तथा संयुक्त खाता सं. 31/20 के खसरा नं. 308/12. 625 है0 व खसरा नं. 330 में 5.035 है0 कुल 17.660 है0 बारानी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1.472 है0 इस प्रकार रोही ठूकराना में अप्रार्थी सं. 1 के नाम की कुल 11.334 है0 बारानी भूमि को रहन बैय व हस्तातंरण वाद पत्र के निर्णय तक नही करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner